



WWJMRD 2020; 6(6): 51-54
www.wwjmr.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

डॉ. के.के. सिंह

प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय
टा. रणमत सिंह महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.) भारत

मनीषा पाण्डेय

शोध छात्रा समाजशास्त्र, अवधेश
प्रताप सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)
भारत

रीवा जिला के मुस्लिम परिवारों में महिलाओं का शैक्षणिक विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. के.के. सिंह, मनीषा पाण्डेय

सारांश :-

इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिला में मुस्लिम परिवारों के महिलाओं का शैक्षणिक विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। मुस्लिम परिवारों में महिला शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है हालांकि मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के समान अधिकारों की बता कही गयी है और उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार भी दिये गये हैं पर आधुनिक काल की सह शिक्षा प्रणाली की पक्षधरता मुस्लिम समाज में कम दिखती है। मुस्लिम समाज के समृद्ध और विकसित परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। पर मध्य और निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवारों में शिक्षा के माकूल अवसर नहीं है।

शब्दकुन्जी: रीवा जिला मुस्लिम महिलाएं, शैक्षणिक विकास, समाजशास्त्रीय

प्रस्तावना:

इस्लामिक मान्यताओं अनुसार मुस्लिम समाज की बालिकाओं को मिलने वाले शिक्षा के अवसर या तो स्थानीय मदरसे या मौलवियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। किशोरियों और युवा लड़कियों को शिक्षा के आपेक्षित अवसर न मिलने की पीछे मुस्लिम परिवारों में प्रभावी पर्दा और बुर्का प्रथा है समकालीन शैक्षिक संस्थानों में स्कूल कोड अर्थात् ड्रेस कोड का नियमन होता जिसे इस्लामिक मान्यताएं और परम्पराएं स्वीकार नहीं कर पाती आने वाली इस असुविधा के चलते ही मुस्लिम लड़किया उच्च शिक्षा अर्थात् महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीयन शिक्षा से वंचित हो रही हैं। उच्च शिक्षा से वंचित होने का एक अन्य कारण मुस्लिम समाज में किशोरावस्था में ही होने वाले निकाह है जिसके कारण उच्च शिक्षाकाल की स्थिति आते आते लड़कियां पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए विवश होने लगती हैं। घर परिवार और बच्चों की परवरिश इस तरीके से बाड बनकर खड़ी हो जाती कि मुस्लिम लड़कियों का शिक्षा के सोपानो तक पहुंचना दिवा स्वप्न सा हो जाता है। शिक्षा की आवश्यकताओं और उपादेयता को समझने के बाबजूद ही मुस्लिम समाज की सांस्कृतिक परम्पराएं उन्हें शिक्षा से वंचित कर देती हैं। जिसका सबसे अधिक प्रभाव मध्यम और निम्न आर्थिक स्थिति वाली मुस्लिम परिवारों पर पड़ता है। देखा यह जाता है कि निम्न आर्थिक स्थिति वाले मुस्लिम परिवारों में पर्दा और बुर्का प्रथा का ज्यादा प्रभाव है साथ ही मौलवियों और मुल्लाओं के फरमानों के चलते भी लड़कियां सहमी और डरी हुई होती हैं। आधुनिकता के प्रभावों के प्रति आकर्षक के बाबजूत वे मन को अपना नहीं पाती इस तरह झोभ और विच्छोभ का द्वंद मुस्लिम परिवार की महिलाओं को उन्नत शिक्षा से वंचित करता है।

भारतीय मुस्लिम परिवारों की एक बड़ी विसंगति यह भी है कि वे न तो पूरी तरीके से इस्लामिक परम्पराओं का परिपालन कर पाते हैं और न ही भारतीय परिदृश्य के अनुकूल आचरण कर पाते हैं। यह ठीक है कि अधिकांश भारतीय मुसलमानों का पूर्वज हिन्दू या हिन्दूस्तानी है। वे धर्मान्तरित होकर इस्लाम का दामन पकड़े हैं। अतएव वे अपने को मुस्लिम होने का दावा पेश करने के लिए इस्लाम की मान्य पुरातन परम्पराओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। ताकि उनके मन की हीन भावना और छोभ धीरे-धीरे घटे ऐसा करने की कोशिश में समकालीन शैक्षिक परिदृश्यों से कटने लगते हैं। इस्लामिक परम्पराओं अनुसार मान्य धार्मिक शिक्षा जिसमें प्राथमिक अक्षरज्ञान और कुरान सरीफ को पढ़ने की क्षमता के साथ शिल्पकारी दस्तकारी और धार्मिक रीतिरिवाजों अनुकूल आचरण करने की मिलने वाली स्वीकृतियां तथा इस्लाम के वैभवशाली और उपलब्धियों वाले अतीत का अध्ययन ही मान्य और उचित है का अध्ययन ही आवश्यक मानते हैं। बदलते परिवेश में शासन की लगातार

Correspondence:

डॉ. के.के. सिंह

प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय
टा. रणमत सिंह महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.) भारत

उपक्रम के बाबजूद मुस्लिम परिवारों में मदरसों में शिक्षा लेने के लिए विवश या प्रेरित किया जाता है यह शिक्षा समयानुकूलित न होने के बावजूद गरीब और पिछड़े तथा मध्यम परिवार के मुस्लिम बालिकाएँ लेने के लिए मजबूर होती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मुस्लिम परिवारों के महिलाओं का शैक्षणिक विकास: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो मुस्लिम परिवारों के महिलाओं का शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. शोध की परिकल्पनाएँ:

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:-

1. शोध क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर शिक्षा संस्थाओं की दूरी बहुत प्रभाव डालती है।
2. शोध क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर व्यवहारिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

4. उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:-

- शोध क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर शिक्षा संस्थाओं की दूरी पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना।
- शोध क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर व्यवहारिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव की वस्तुस्थिति ज्ञात करना।

5. शोध समस्या का सीमांकन:

5.1 भौगोलिक परिसीमन – प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र रीवा जिला है। इसके अन्तर्गत सभी विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

5.2 विषयवस्तु का परिसीमन – अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन, जिला अन्तर्गत मुस्लिम परिवारों के महिलाओं का शैक्षणिक विकास: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

6. शोध विधियाँ:

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 साक्षात्कार विधि – शोध क्षेत्र में मुस्लिम परिवारों में महिलाओं का शैक्षणिक विकास: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत, नगर/ कस्बों के मुस्लिम महिलाओं से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

7. न्यादर्श चयन:

रीवा जिला में मुस्लिम परिवारों में महिलाओं का शैक्षणिक विकास: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित 300 उत्तरदाताओं का चयन देव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण:

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध

समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने मुस्लिम परिवारों में महिलाओं का शैक्षणिक विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की वर्तमान स्थिति पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय-वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – अन्सारी एम.एन. (2000)¹, जैन, पुखराज (2000)², गौयल सुनील, गौयल संगीता (2003)³, सिन्हा, आर.के., (2006)⁴, लवानिया, एम.एम. (2010)⁵ एवं कुमारी, गीता (2016)⁶।

9. शोध क्षेत्र का परिचय:

रीवा जिला 2 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया, इसके पूर्व यह रीवा रियासत की राजधानी के रूप में चर्चित रहा। आजादी मिलने के साथ बनी नई प्रशासनिक इकाइयों के तहत इस क्षेत्र को सेन्ट्रल एरिया के अन्तर्गत उत्तरी जिले के रूप में माना गया। 4 अप्रैल 1948 को रीवा रियासत तथा बुन्देलखण्ड की अन्य 34 रियासतों को मिलाकर नया प्रदेश 'विन्ध्यप्रदेश' अस्तित्व में आया। नवनिर्मित प्रदेश की राजधानी बनने का गौरव इस तरह एक बार पुनः रीवा को मिला। अध्ययन क्षेत्र की स्थिति और विस्तार पर गौर करे जो रीवा जिला मध्यप्रदेश में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह 24°16'30" तथा 25°11'15" उत्तरी अक्षांश की समान्तर रेखाओं और 81°03'15" तथा 82°18'45" पूर्वी देशान्तर के मध्य रेखाओं के बीच स्थित है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या:

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है:-

सारणी क्रमांक – 1: मुस्लिम परिवारों में महिलाओं का शिक्षा का स्तर

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	132	44.00
2.	प्राथमिक	63	21.00
3.	माध्यमिक	36	12.00
4.	हायर सेकेंडरी	27	9.00
5.	स्नातक	18	6.00
6.	स्नातकोत्तर	9	3.00
7.	तकनीकी शिक्षा	6	2.00
8.	उच्च तकनीकी शिक्षा	3	1.00
9.	उपाधि एवं अन्य शिक्षा	6	2.00
योग		300	100.00

स्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर

मुस्लिम परिवारों में महिलाओं का काफी प्रतिशत शिक्षा से वंचित है हालांकि उनमें अब ज्ञान विज्ञान में आकर्षक बढ़ रहा है फिर भी युवा और प्रौढ़ मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है विवरण के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की मुस्लिम परिवारों की महिलाओं में 44.00 प्रतिशत अशिक्षित है जबकि 21.00 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा, 12.00 प्रतिशत माध्यमिक, 09.00 प्रतिशत हायर सेकेंडरी, 06.00 प्रतिशत स्नातक, 03.00 प्रतिशत स्नातकोत्तर, 02.00 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा, 01.00 प्रतिशत उच्च तकनीकी शिक्षा एवं 02.00 प्रतिशत उपाधि एवं अन्य शिक्षा प्राप्त है। शिक्षा का यह औसत मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्थिति का खुलासा करता है।

सारणी क्रमांक – 2: मुस्लिम परिवारों के महिलाओं की शैक्षिक संस्थानों के पसंद का अध्ययन

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कान्वेंट स्कूल	126	42.00
2.	अशासकीय विद्यालय	90	30.00
3.	शासकीय विद्यालय	63	21.00
4.	मदरसा स्कूल	21	7.00
योग		300	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर

अध्ययन क्षेत्र में मुस्लिम परिवारों की महिलाओं की पहली पसंद कान्वेंट स्कूल है निम्न का प्रतिशत 42.00 है जबकि दूसरी पसंद अशासकीय विद्यालय जिनका प्रतिशत 30 तीसरी शासकीय विद्यालय जिनका प्रतिशत 21.00 और अंतिम मदरसा स्कूल है जिनका प्रतिशत 07.00 है।


सारणी क्रमांक – 3: शिक्षा का प्रभाव का अध्ययन

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन	102	34.00	198	66.00

	योजनाओं की जानकारी है				
2.	विद्यालय की दूरी का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है	168	56.00	132	44.00
3.	बालिका शिक्षा पर शिक्षा संस्थाओं की दूरी बहुत प्रभाव डालती है	264	88.00	36	12.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर

अध्ययन क्षेत्र की 34.00 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी है जबकि 66.00 प्रतिशत को उनकी जानकारी नहीं है। विद्यालय की दूरी का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है 56.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस पर सहमति व्यक्त करते हैं जबकि 44.00 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते इस तरह अधिकांश उत्तरदाताओं का तर्क है कि बालिका शिक्षा पर शिक्षा संस्थाओं की दूरी बहुत प्रभाव डालती है 88.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा पर व्यवहारिक जीवन का प्रभाव पड़ता है जबकि 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा पर व्यवहारिक जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता है।



भारतीय मुस्लिम परिवारों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा दृष्टि से पिछड़ेपन से है। जिस कारण उनका वैचारिक और आर्थिक विकास निर्धारित गति से नहीं हो पा रहा है। इस कारण और मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति जो वैचारिक चिंतन है वह मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से भी है। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा अभी भी पुरातन शैली पर है जिसमें धार्मिक चिंतन को अहमियत दी जाती है जो वैश्विक परिदृश्य के अनुकूलन नहीं है। बावजूद उसके मुस्लिम परिवारों में अब धीरे-धीरे परिवर्तन दिखने लगा है अब वे वैश्विक परिदृश्य के

अनुकूल दी जाने वाली शिक्षा के प्रति उन्मुख हो रहे हैं। अतः उपरोक्त सारणी क्र. 1-3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिकल्पना क्र. 1 और 2 सत्यपित होती है।

निष्कर्ष:

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त अध्ययन के दौरान देखा गया कि मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता तो है उनके मन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की ललक और उत्साह भी है पर समाज में व्याप्त पारम्परिक नीति और कट्टरता तथा

अंधविश्वास के चलते वे शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के उच्च कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह जाती है जिस कारण न तो उनके व्यक्तित्व का विकास हो पाता और न ही उनकी सोच व्यवहारिक और प्रभावी बन पाती है।

संदर्भ:

1. अन्सारी एम.एन. महिला एवं मानवाधिकार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2000.
2. जैन, पुखराज, मध्यप्रदेश एक अध्ययन, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा, 2000.
3. गोयल सुनील, गोयल संगीता (2003) भारत में सामाजिक परिवर्तन— आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर, पेज संख्या 161–177
4. सिन्हा, आर.के., मुस्लिम विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 2006.
5. लवानिया, एम.एम., परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2010.
6. कुमारी, गीता, मुस्लिम परिवारों में परिवर्तित दृष्टिकोण का अध्ययन, 2016, स. 5(1), पृ. 100–104.